पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 11521 /अका./का.प./2013 रायपुर, दिनांक : 6/08/2013

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 30.07.2013 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
3.	प्रो. व्यासनारायण दुबे	–	सदस्य
4.	प्रो. ए.के. शर्मा	–	सदस्य
5.	प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
6.	प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
7.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
8.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
9.	डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
10.	डॉ. आर. बाला सुब्रामनियम	–	सदस्य
11.	श्री एस.के. चकवर्ती	–	सदस्य
12.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
13.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
14.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
15.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति एवं कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों द्वारा, डॉ. जी.बी. गुप्ता, कार्यपरिषद् सदस्य को छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्त किये जाने पर बधाई एवं शुभकामनायें दी, कि आयुष विश्वविद्यालय उनके नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर होगा।

डॉ. जी.बी. गुप्ता ने कुलपति जी एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उनका लाभ आयुष विश्वविद्यालय के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

डॉ. अशोक शर्मा का कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है, अतः कुलपति एवं सभी सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद् में उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.06.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.06.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.06.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.06.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई। इसके साथ निम्न लिखित निर्णय लिया गया :–**

(1) परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक को अन्य संस्थाओं में आवेदन हेतु महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अन्य संस्थाओं में नियुक्त होने के उपरांत संबंधित महाविद्यालय को छोड़ने की जानकारी विश्वविद्यालय को शीघ्र दी जाय।

(2) परफार्मेंस इन्डेक्स के आधार पर मूल्यांकन के उपरांत सर्वोत्तम अंक हासिल महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण प्रत्र प्रदान किया जाए ।

(3) प्लेटिनम कालेज को निम्नलिखित जानकारी के साथ हलफनामा प्रस्तुत करने पर स्थान परिवर्तन हेतु प्रथमतः एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति दिया जाएः–

(i) संबंधित भवन में संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमानुसार पर्याप्त स्थान की उपलब्धता।

(ii) संबंधित भवन के किराया पर लेने की कापी, नक्शा सहित।

(iii) संबंधित भवन में स्थानांतरित होने पर जो शुल्क कम किया गया है उनका विवरण।

(iv) जो जमीन पहले से है, उनका मालिकाना हक ट्रस्ट के नाम से होने तथा उनका उपयोग केवल कालेज के लिए करने संबंधी जानकारी।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अग्रिम के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रत्येक तीन माह में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 28.06.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 28.06.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

04. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 10.07.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 10.07.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

05. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की साफ–सफाई के लिए आमंत्रित निविदा पर केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की साफ–सफाई के लिए आमंत्रित निविदा पर केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार न्यू भारत सिक्यूरिटी सर्विसेस, नागपुर के द्वारा प्रस्तावित दर में कार्य कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

06. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 09.07.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 09.07.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पुराने भवनों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा की गई मूल्यांकन पर लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई सहमति के अनुसार विश्वविद्यालय यंत्री एवं वित्त अधिकारी द्वारा वास्तविक भुगतान का परीक्षण करने के पश्चात् उनके द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।**

07. सम्बद्धता शुल्क के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्र. 3460/एफ 3–74/2013/ 38–1 दिनांक 15.07.2013 पर विचार करना।

निर्णय : **सम्बद्धता शुल्क के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र कमांक 3460/एफ 3–74/2013/38–1 दिनांक 15.07.2013 के संदर्भ में महाविद्यालयों की व्यवहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सहमति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा विभाग को संबंधित महाविद्यालय के द्वारा जमा की जाने वाली राशि की जानकारी दी जावे ।**

08. एम.ए. अंतिम संस्कृत मार्च–अप्रैल परीक्षा–2013 रोल नं.– 847394 निरस्त करने पर विचार करना।

निर्णय : **श्री महेन्द्र शर्मा के प्रकरण पर उनके द्वारा निवेदन के आधार पर एम.ए. अंतिम संस्कृत, मार्च–अप्रैल परीक्षा–2013 रोल नं.–847394 परीक्षाफल निरस्त करने संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

09. अपोलो कालेज, शासकीय वेटनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग एवं एम.जे. कालेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **अपोलो कालेज, शासकीय वेटनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए गठित चयन समिति के अनुशंसा अनुसार डॉ. अवधेश कुमार के नाम का अनुमोदन किया गया।**

एम.जे. कालेज, कोहका, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग प्राचार्य के पद के लिये गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. कुबेर सिंह गुरुपंच के नाम का अनुमोदन किया गया।

दोनों महाविद्यालयों से प्राचार्यों का बायोडाटा प्राप्त कर कुलपति से अनुमोदन के पश्चात् उन्हें जानकारी दिया जाए।

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

02. कला भवन में सोलर पावर प्लांट 100 kw पर अनुमानित लागत रू. 150 लाख एवं सबसिडी की राशि के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा देय राशि रू. 54 लाख के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **क्रेडा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कला भवन के लिए 100kw का सोलर पावर प्लान्ट संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । क्रेडा द्वारा प्रदत्त सबसिडी के अतिरिक्त विश्वविद्यालय से देय राशि रु. 54 लाख का अनुमोदन किया गया। कार्यपरिषद की जानकारी में लाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा देय राशि को हुडको द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान करने हेतु पत्र लिख गया है।**

03. वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2014 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR सीट मुद्रण एवं ऑन–लाइन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **वार्षिक, पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा फार्म मुद्रण OMR सीट मुद्रण, रिजल्ट प्रोसेसिंग एवं परीक्षा आवेदन पत्र ऑन–लाइन भरने के संबंध में मेसर्स, ओसवाल कम्प्युटर एंड कंसल्टेंट, इंदौर के द्वारा प्रस्तावित दर पर क्रय समिति के अनुशंसा का अनुमोदन किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि यह अनुबंध प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जाय तथा संतोषजनक पाये जाने पर एक–एक वर्ष वृद्धि किया जा सकता है तथा यह वृद्धि अधिकतम तीन वर्ष तक की जा सकेगी।**

04. श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता को विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर संविदा नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री को विश्वविद्यालय यंत्री के पद के विरूद्ध संविदा पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति अथवा राज्य शासन द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) करने हेतु अनुमोदन किया गया।**

05. संविदा नियुक्त उप कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक संविदा अवधि पूर्ण होने के कारण शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रत्याशा में निरंतर कार्य करने की अनुमति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. रविन्द्र कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त स्नातक प्राचार्य, उच्च शिक्षा विभाग एवं डॉ. जे.एल. गंगवानी, सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर प्राचार्य, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 16.07.2013 से एक वर्ष के लिए अथवा शासन से नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) संविदा पर नियुक्त करने हेतु अनुमोदन किया गया।**

श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक को संविदा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 01.08.2013 से एक वर्ष के लिए अथवा शासन से नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) संविदा नियुक्ति करने हेतु अनुमोदन किया गया।

06. टेबुलेशन चार्ट को डिजीटाइजेशन कर सुरक्षित रखने के संबंध में क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **टेबुलेशन चार्ट का डिजीटाइजेशन कर सुरक्षित रखने के संबंध में फर्म अनिल कुमार गुप्ता, स्केन–2, आजाद चौक, रायपुर के द्वारा निम्नानुसार प्रस्तावित दर पर क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया :**

Paper Size	**Bound Book**	**Looser Paper**
A4	1.1	0.49
A3	1.4	0.59
A2	1.99	0.99

इसके साथ अधिकतम साईज के लिए फर्म अनिल कुमार गुप्ता, स्केन–2 द्वारा प्रस्तावित दर रुपए 5.00 प्रति पेज पर कार्य कराने हेतु अनुमोदन किया गया।

07. विश्वविद्यालय के द्वारा कुलगीत के रचना हेतु गठित समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुल गीत के संबंध में गठित समिति द्वारा श्री जीवन यदु 'राही', खैरागढ़ द्वारा रचित कुलगीत की अनुशंसा की गई है जिसे मान्य करते हुए विश्वविद्यालय का कुलगीत स्वीकार किया गया। श्री जीवन यदु 'राही', खैरागढ़ को इस कार्य के लिए सम्मान राशि रुपए 11,000.00 (रुपए ग्यारह हजार मात्र) प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। कुलगीत को लयबद्ध करने के संबंध में कार्यवाही किया जावे।**

08. NCNR प्रोजेक्ट के तहत बोलेरो गाड़ी दो नग क्रय करने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **NCNR प्रोजेक्ट के तहत बोलेरो गाड़ी दो नग क्रय करने के लिए DGS & D दर पर क्रय करने का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

1. **विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार नोडल केन्द्रों को दी गई अग्रिम राशि की सूचना ग्रहण की गई :**

    1. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगलदपुर – 5,00,000/–
    2. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी – 5,00,000/–
    3. प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव – 13,00,000/–
    4. प्राचार्य, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर – 15,00,000/–

2. जिन महाविद्यालयों द्वारा नये विषय एवं सीट वृद्धि के लिए आवेदन किया गया है, उनके संबंध में पूर्व कार्यपरिषद् के निर्णय के अनुसार जिन महाविद्यालयों में पूर्व संबंद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में, शैक्षणिक स्टाफ, अधोसंरचना एवं अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ति कर लिया है, उनका निरीक्षण की कार्यवाही कर सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही की जावे। जिन महाविद्यालयों के निरीक्षण कराने हेतु निरीक्षण समिति गठित की जा चुकी है, उनके निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे तथा स्थाई समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यपरिषद् की ओर से स्वीकृति प्रदान करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया है।

3. बी.कॉम. में कम्प्युटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम को चौथा ग्रुप के रूप में शामिल करते हुए अनिवार्य किया जावे तथा इस संबंध में संबंधित बोर्ड से पाठ्यक्रम तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु भेजी जावे।

4. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई के प्रकरण पर परीक्षण कर प्रतिवेदन देने हेतु तीन सदस्यीय समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति के प्रतिवेदन के अनुशंसानुसार कार्यवाही किया जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ. क्रमांक : 11522/अका./का.प./2013 रायपुर, दिनांक : 6/08/2013

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)